

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....46/जैसल/20.12.-20.13....

यह प्रमाणित किया जाता है कि अब्दुल ख़ासिम ख़ान एवं
विष्णु शंकर, जावन्ध जूनी बिला जैसलमेर का
राजस्थान सभ्या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक.....06.....माह.....दिसम्बर.....सन् दो हजार.....को
जैसलमेर में दिया गया ।




रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर